न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर

(पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट आई.ए.एस.)

प्रकरण सं.–02 / 2015

पंजियन दि. 28.08.2015
निर्णय दि. 27.12.2017

सरकार जरिये तहसीलदार, डूंगरपुर

––प्रार्थी

बनाम

1. श्री अमरा पिता रामा पटेल, निवासी थाणा, तहसील डूंगरपुर जिला डूंगरपुर
2. श्रीमती नवल पत्नी अमरा पटेल, निवासी थाणा, तहसील डूंगरपुर जिला डूंगरपुर (राज.)

––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत्

उपस्थित :– 1. पेरोकार सरकार–प्रार्थी की ओर से
2. श्री नवीन शर्मा–अभिभाषक विपक्षीगण की ओर से

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा थाणा की बिलानाम आराजी संख्या 2399 रकबा 9 बीघा 04 बिस्वा भूमि में से रकबा 01 बिस्वा भूमि विपक्षीगणों के संयुक्त नाम पर राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत् वर्ष 2010 में आवंटित की गई थी, जिसकी नवीन आराजी संख्या 4361 / 2399 कायम हुई है। विपक्षीगणों के नाम आवंटित उक्त भूमि बाबत् आवंटन शर्तो की पालना नही होने से तहसीलदार, डूंगरपुर द्वारा आवंटन को निरस्त कराने आवंटन नियमों के नियम 14(4) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण को दर्ज करते हुए विपक्षीगण को वास्ते सुनवाई के नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण की ओर से अभिभाषक नियुक्त हो लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया एवं उपखण्ड न्यायालय डूंगरपुर में विचाराधीन प्रकरण से संबंधित दस्तावेजात मुताबिक सूची के प्रस्तुत किये गये।

प्रकरण में पेरोकार सरकार एवं विपक्षीगण के अभिभाषक की बहस समायत की गई। पेरोकार सरकार तर्क है कि विपक्षीगण को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत् मौजा थाणा की बिलानाम आराजी संख्या 2399 रकबा 9 बीघा 04बिस्वा में से मात्र 01 बिस्वा भूमि का ही आवंटन किया गया है जो प्राथमिक रूपेण कृषि प्रयोजन की श्रेणी का नही है। विपक्षीगण का मौके पर काश्त कब्जा नही है एवं उनके द्वारा आवंटन शर्तो की भी पालना नही की है, जिससे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के नाम आवंटित भूमि को निरस्त किया जावे।

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

विपक्षीगणों के योग्य अभिभाषक का तर्क है कि आवंटित भूमि पर विपक्षीगण का लम्बी अवधि से कब्जा होने से ही आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमानुसार विपक्षीगण के नाम आवंटन किया है। आवंटित भूमि पर विपक्षीगण का कब्जा है तथा उसे खलिहान के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। विपक्षीगण के योग्य अभिभाषक का आगे यह भी कथन है कि विपक्षीगण के नाम आवंटित उक्त भूमि के विवाद को लेकर उपखण्ड न्यायालय डूंगरपुर में राजस्व वाद विपक्षीगण तथा श्री भगवान, हिरा एवं रामजी पिता हक्सी पटेल निवासी थाणा के मध्य विचाराधीन है। जिससे न्यायालय हाजा की कार्यवाही को स्थगित रखा जावे।

उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षीगण के नाम मौजा थाणा की बिलानाम आराजी संख्या 2399 रकबा 9 बीघा 04 बिस्वा में से मात्र 01 बिस्वा भूमि का ही राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के तहत् आवंटन वर्ष 2010 में किया है, जो आश्चर्यजनक है। आवंटित भूमि के समीप विपक्षीगण की अन्य खातेदारी भूमि होने का कोई तथ्य भी प्रकरण में नही आया है, नही विपक्षीगण को छोटी–पट्टी के तहत् ही भूमि का आवंटन हुआ है। विपक्षीगण को वर्ष 2010 में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित हुई है, किन्तु रिपोर्ट पत्रावली हल्का थाणा एवं प्रार्थना पत्र तहरीर के अनुसार न तो उनका आवंटित भूमि पर कब्जा ही प्रमाणित है एवं न ही काश्त ही है। विपक्षीगण स्वयं ने अपने जवाब में आवंटित भूमि को खलिहान के रूप में काम में लेना तथा इस भूमि को लेकर विवाद एवं वाद होना अंकित किया है।

इस प्रकार प्रकरण में आये तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि मौजा थाणा की बिलानाम आराजी संख्या 2399 रकबा 9 बीघा 04 बिस्वा में से मात्र 01 बिस्वा भूमि जो राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के तहत् वर्ष 2010 में विपक्षीगण के नाम आवंटित की गई हे, उस भूमि पर न तो आवंटिगण का मौके पर काश्त कब्जा ही है एवं न ही उनके द्वारा आवंटन शर्तो की पालना ही की गई है। विपक्षीगण को आवंटित उक्त भूमि के कब्जे को लेकर मौके पर विवाद भी है। कृषि प्रयोजनार्थ आंवटित उक्त 01 बिस्वा भूमि के आवंटन को बहाल रखा जाना न्यायसंगत नही होगा।

अतः उपरोक्त विवेचना के क्रम में तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा मौजा थाणा की आराजी संख्या 2399 रकबा 9 बीघा 04 बिस्वा में से विपक्षीगण के नाम किया गया आवंटन रकबा 01 बिस्वा (जिसकी नवीन आराजी संख्या 4361/2399 कायम हुई है) को निरस्त किया जाता है। निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार डूंगरपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2017 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर